रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06032024-252624
CG-DL-W-06032024-252624

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 25—मार्च 2, 2024, शनिवार/फाल्गुन 6—फाल्गुन 12, 1945

No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 25—MARCH 2, 2024, SATURDAY/PHALGUN 6—PHALGUN 12, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2024

का.नि.आ. 13—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा , (वर्ग 3 और वर्ग 4 के पद) भर्ती नियम,1970 को, जहाँ तक उनका संबंध नियंत्रक कार्यालयों में ज्येष्ठ आशुलिपिक के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है,रक्षा लेखा विभाग ,रक्षा मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी -I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग, आशुलिपिक – श्रेणी I (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन का स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ,

उक्त पद में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी -I	120* (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (रु. 35400-112400)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group `B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controller of Defence Accounts — Chairman; 2. Deputy Controller of Defence Accounts — Member; 3. Assistant Controller of Defence Accounts — Member. Group `B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controller of Defence Accounts — Chairman; 2. Deputy Controller of Defence Accounts — Member; 3. Assistant Controller of Defence Accounts — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 9(4)/DAD/C/2023]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. and Addl. Financial Advisor

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2024

का.नि.आ. 14.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में रक्षा लेखा महानियंत्रक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय तथा हिमालियन पर्वतारोहण संस्थान के निम्नलिखित कार्यालयों को जिनके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है , अधिसूचित करती है :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Stenographer Grade - I.	120 *(2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group `B`, Non-Gazetted, Ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years for promotees	By promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Stenographers Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100) with ten years regular service in the grade and have successfully completed the training of two weeks in relation to the higher post imparted at the various Regional Training Centres functioning under the Department. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding the post of Stenographer under the Central Government;

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित होगें : (1) प्रधान नियंत्रक अथवा नियंत्रक अथवा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक — अध्यक्ष ; (2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक — सदस्य ; (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक — सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टी समिति (पुष्टी पर विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित होगें : (1) प्रधान नियंत्रक अथवा नियंत्रक अथवा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक — अध्यक्ष ; (2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक — सदस्य ; (3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक — सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 9(4)/DAD/C/2023]

वेदवीर आर्या, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 17th February, 2024

S.R.O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts (Class III and IV posts) recruitment Rules ,1970, in so far as they relate to the post of Senior Stenographers in Controllers' Offices, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Defence Accounts Department, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, Stenographer Grade-I (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसे आशुलिपिक श्रेणी - II जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु. 25500 – 81100) के उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है; और विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो ,वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार के आधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु. 25500 – 81100) या समतुल्य में दस वर्ष कि नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।